उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 110/2018/1596/92-2-2018-104जाच/13

लखनऊ :: दिनांक:: 13 अगस्त, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

बार्डर एरिया डेवलेपमेंट योजनान्तर्गत जनपद श्रावस्ती के विधानसभा क्षेत्र भिनगा में गुलरा से पडवलिया जाने वाले मार्ग पर भैसाही नाले पर निर्मित आर0सी0सी0 पुलिया एवं शिवपुरा नाले पर ककरदरी के पास निर्मित पुलिया के निर्माण में गम्भीर अनियमितता बरतने तथा शासकीय क्षति पहुंचाये जाने आदि अनियमितताओं के संबंध में शासन के पत्र संख्या-32/2015/1862/92-1-15-104 जांच/2013 दिनांक 23-04-2015 द्वारा श्री विजय कुमार दूबे, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता, (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता, (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-286/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-श्रावस्ती/2016-17 दिनांक 28-07-2016 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी की जांच आख्या में कतिपय आरोप सिद्ध पाये जाने पर शासन के पत्र दिनांक 14-09-2016 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 25-10-2016 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी से 15 दिन के अंदर उनका अभ्यावेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु तय समय सीमा तक अभ्यावेदन प्राप्त न होने पर उपलब्ध संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-19/2017/69/92-2-17-104जांच/2013 दिनांक 12-01-2017 द्वारा श्री विजय कुमार दूबे तत्का0 अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-श्रावस्ती सम्प्रति प्रखण्ड-झांसी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध कर उन्हें परिनिन्दा का दण्ड देते हुये उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया।

3- श्री विजय कुमार दूबे द्वारा शासन के उक्त दण्डादेश दिनांक 12-01-2017 के विरूद्व मा0 लोक सेवा अधिकरण में निर्देश याचिका संख्या-424/2017 विजय कुमार दूबे बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। मा0 अधिकरण में उक्त निर्देश याचिका में अपने आदेश दि0 17-11-2017 द्वारा शासन के दण्डादेश दिनांक 12-01-2017 को अपास्त करते हुये अपचारी अधिकारी श्री दूबे को पुन: मौखिक सुनवाई व प्रति परीक्षण कर अवसर प्रदान करते हुये 04 माह में जांच की कार्यवाही पूर्ण किये जाने का आदेश पारित किया गया।

4- मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 17-11-2017 के समादर में सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-05/2018/99/92-2-18-104जांच/13 दि0 17-01-2018 द्वारा दण्डादेश दिनांक 12-01-2017 को निरस्त करते हुये पूर्व आदेश दिनांक 23-04-2015 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को पुन: संस्थित करते हुये जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता, (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को शासन द्वारा पूर्व में निर्गत आरोप पत्र के क्रम में अपचारी अधिकारी,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

श्री विजय कुमार दूबे को मौखिक एवं प्रति परीक्षण का अवसर देते हुये नवीन जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

5- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता, (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-106/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-आ0लि0-41/श्रावस्ती/18-19 दिनांक 10-05-2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0) द्वारा उपलब्ध करायी गयी उक्त जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कोई आरोप सिद्ध न पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-32/2015/1862/92-1-15-104जांच/2013 दिनांक 23-04-2015 द्वारा श्री विजय कुमार दूबे, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड श्रावस्ती के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

(मो0 इफ्तेखारूददीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-110/2018/1596(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 ।

2- श्री विजय कुमार दूबे, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती सम्प्रति चित्रकूट द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।